




Form No. III

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय (मुकाम) मारवाड़ जंक्शन

दीपू देवी बनाम पुराण

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 2741 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिर्सिस्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए
31/08/2015	<p>वकील वादी उपस्थिति ।</p> <p>वकील वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत धारा 22, 21, 22A, 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जो दर्ज रजिस्ट्रर हो । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/10/2015 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन </p> <p>8/10 पत्रावली पेश हुई आज परिवारीक अधिकारी महोदय, आज वाद को सुनने हे/समन पर है/ बेतक को पेश है/व्यवस्था पर है अगले दिनांक 26/11/15 को पेश हो । प्री.क. की कोर ले नकालत. पेश किया जे शा. फ. क. म.</p> <p style="text-align: center;">  रिडर उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन </p> <p>26/11/2015 पत्रावली पेश हुई ।</p> <p>वकील प्रतिवादी सम्मन । वादो जवाब सफु चाहते हैं न्याय रिफ में आवक डिफ फाल है । वकील वादी को रिदायत डी जली है कि प्रतिवादी सम्मन 2 का सही पत्रवात कर 10/11 सम्मन पूरा पेश करे । पेश होते पर जारी है । पत्रावली आम्डा डि 17/12/2015 को पेश है ।</p> <p style="text-align: center;">  रिडर </p>	<p>1609</p> <p>31/8/15</p>

तारीख
हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम
का नामिक

द्वारा अन्तर्गत नामा पेश किया जा चुका है,
दिनांक 8/11/15 को किन्तु आदिनांत तक जवाब
पेश नहीं किया है। न्यायहित में अ-लम अलम
अवलर दिया जाता है कि वे जवाब दावा पेश
करे अथवा जवाब स्वतः बन्ध कर दिया
जावेगा। साथ ही उति सं. 3 सरकार पेशीकार
को जवाब हेतु अलम अवलर दिया जाता है।
वकील वादी को हेतु दिवस में, उति सं. 2
का पीए सम्मत लही नाम एवं पता मय पेश
करने हेतु अ-लम अवलर दिया जाकर है। पेश
नहीं करने पर अ-लम 0-9-25 के तहत
अग्रिम कार्यवाही अमल में ली जावेगी पतावली
आवेदा दिनांक 25/11/19 को पेश है।

अहकाम
का नामिक

25/10/19

वकूलाय अनुपरिथत।
आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में
अनुपरिथत रहने का निर्णय लिया गया है।
अतः पेशी इत्तया होकर पत्रावली
दिनांक 6/12/19 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, ना.जं.

6/12/19

वकूलाय अनुपरिथत।
आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में
अनुपरिथत रहने का निर्णय लिया गया है।
अतः पेशी इत्तया होकर पत्रावली
दिनांक 9/12/19 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, ना.जं.

9/12/19
वादी युगल को हेतु
अधि मय 12/11/19
50 वाद फिरोर
20/12/19
9/12/19

पतावली आज पेश हुई वकील वादी अलम
वकील वादी हेतु अलम अवलर पेश नहीं
पलाना चाहते हैं तथा अलम को पुनः
पेशी के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए
विशेष (Not Press) करने हेतु विशेष निर्णय
दिया है। वकील वादी ने निर्णय किया कि वे
हेतु अलम अवलर को अलम नहीं पलाना चाहते हैं।

रीख
कमा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर य
अहकाम ज
का तामिल

तथा लाय ही यह भी जाहिर किया कि
 उनके बाद का पुनः जाने के अधिकांश को
 सुरक्षित रखा जाकर बाद को (हलगत प्रकरण)
 जरीये विज्ञे खारीज किया जाये वकील
 वादी के निवेदन को स्वीकार किया जाकर
 हलगत प्रकरण को वकील वादी की दायगी
 के आधार पर जरीये विज्ञे खारीज किया
 जाता है तथा लाय ही यह भी निर्देश
 दिये जाते हैं कि सम्बन्धित वादी अथवा
 वकील वादी बाद को पुनः नम्बर पर ल
 संपर्क करें। मिकल केवल शुमार होकर नम्बर
 के काम है।
 निर्णय आज दिनांक 01/2/19 को सुनने आयाम
 में सुनाया गया।



सहायक सल्लेक्टर
 मारकडे जमिशन

